न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-63/2017

1- हरिराम ⁝ पुत्रगण स्व0 राधाकिशन जाति जाट निवासी किरडोली
2-भागीरथमल ⁝ तहसील धोद जिला सीकर ।

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- रहीसा पत्नी खान मोहम्मद ⁝ जाति कायम खानी मुसलमान निवासीगण
2- बानो पत्नी ईशाक खां ⁝ किरडोली तहसील धोद जिला सीकर ।
3- हसन खां पुत्र अलीम खां
4- युसूफ खां पुत्र अलीम खां

5-गणेशाराम
6- महेशाराम ⁝ पुत्रगण स्व0 जाति जाट निवासी मैलासी तहसील
7- भगवानाराम ⁝ धोद जिला सीकर ।
8- विद्याधर

9- राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किरडोली।

10-सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा सूरजपोल गेट सीकर ।

11-उप पंजीयक धोद ।

12-हल्का पटवारी किरडोली ।

13-तहसीलदार धोद जिला सीकर ।

14-सुधेशा पुत्री स्व0 राधाकिशान ⁝ जाति जाट निवासी किरडोली तहसील
15-विमला पुत्री स्व0 राधाकिशान ⁝ धोद जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 30-5-2017 द्वारा
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर ।

--0--

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1- श्री गणपतलाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 5.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 ने अदालत मातहत में दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम किरडोली तहसील धोद में भूमि ख0नं0 528 रकबा 7.94 हैक्टर में वादी सं0-1 का 1.01, वादी सं0-2 का 1.01 एवं वादी सं0-3 व 4 का संयुक्त रूप से 0.63 हैक्टर कुल 2.65 हैक्टर भूमि पर खातेदार व कब्जा है शेष 5.29 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0-2 से 5 का है ।इस भूमि में आने जाने के लिये पूर्वी तरफ उत्तर दक्षिण सार्वजनिक मार्ग अवस्थित है। विवादि आराजी के बंटवारा बाबत प्रतिवादी संख्या-1 ने माननीय न्यायालय में बंटवारा का दावा दिनांक 2-6-2009 को प्रस्तुत किया था । जिसके नोटिस कभी भी वादीगण को नहीं मिले । इस दावा में प्राथमिक डिक्री दिनांक 27-11-2011 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 30-5-2015 को विभाजन प्रस्ताव बनवाने हेतु मौके पर हल्का पटवारी आदि के आने पर हुई ।बंटवारा प्रस्ताव पर वादीगण भी प्रतिवादी संख्या-1 के कहने पर सहमत हो गये जबकि प्रतिवादी सं0-1 को सार्वजनिक रास्ता के सटती हुई बेसकीमती भूमि विभाजन में दी गई थी परन्तु आपसी सहमति के कारण वादीगण ने प्रतिवादी सं0-1 को सार्वजनिक रास्ता से सटकर भूमि देने का कोई ऐतराज नहीं किया और दिनांक 30-5-15 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार हो गया । तथा पत्रावली को दिनांक 1-6-15 मे आदेश के लिये रख लिया । किन्तु प्रतिवादी संख्या-1 के मन में बेईमानी आ गई जिसने इस दावे से को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया । तथा आराजी में आवागमन नहीं करने देने की

की धमकी दी तथा आराजी को भू-माफियाओं को बेचान करने की धमकी दी । तथा आराजी का बई मीटस् एण्ड बाउण्डस् बंटवारा कराने से भी मना हो गये जिस पर यह दावा किया जिसे अदालत मातहत ने प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री राजस्व लोक अदालत में पारित की गई । किन्तु कैम्प ऑफ किरडोली में पत्रावली ले जाने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया ।अपीलान्ट को प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । आदेश से पूर्व दावे में अपनाई जाने वाली किसी भी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया ।अदालत मातहत ने प्रतिवादी का ना तो जबाब बन्द किया और ना ही उ जबाब के बाबत कोई आदेश पारित किया है अदालत मातहत ने सम्पूर्ण कार्यवाही को दरकिनार कर आदेश पारित किया गया है । अदालत मातहत का आदेश जानन फानन में बिना न्यायिक मस्तिष्क को काम लिये आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । रेस्पोडेन्ट सं0 14 व 15 के हित अपीलान्ट के समान ही है लेकिन वर्तमान में यहां नहीं रहने से इन्हे औपचारिक रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया गया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को विधि विरूद्ध ठहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत का आदेश अपीलान्ट को बिना सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये दावे में अपनाई जाने वाली किसी भी विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना ही आदेश पारित किया है ।

प्रकरण को अपीलान्ट को बिना सूचना दिये ही राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प किरडौली में रख लिया। इस प्रकरण को कैम्प किरडोली में रखे जाने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई। अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपनी मर्जी के अनुसार आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी विधिक प्रक्रिया को नही अपनाया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस मे कथन किया कि अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उन्हे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी योजना है जिसकी सूचना सभी अखबारों में तथा सभी ग्राम पंचायतों पर जारी की जाती है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में मौके पर ग्राम वासी तथा सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में जो आदेश पारित होते हैं वह मजमें आम में पारित होते हैं। अपीलान्ट मौके पर राजस्व लोक अदालत मे हाजिर रहे हैं। दावा दिनांक 31-7-2015 को दर्ज हुआ है। जिस में प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादी/अपीलान्ट दावे मे हाजिर रहे है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व लोक अदालत कैम्प किरडौली पर प्रकरण को रखा गया जिसकी सूचना सार्वजनिक रूप से जारी की गई है। योग्य अदालत मातहत ने केवल तहसीलदार को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये है जिसमे दोनो पक्षो को नोटिस देकर उनकी मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये हैं। इस आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नही है। अपीलान्ट विभाजन प्रस्ताव आने पर आपत्ति पेश कर सकते थे। इस आदेश से अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई हानी नहीं हुई है। आदेश सही है। अपील खारिज की जावे।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस बगौर समहात की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर आदेश जारी किया है जिसमे तहसीलदार को मौके के बटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये है जिसमे स्पष्ट निर्देश है कि यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज है तो उसी अनुसार, पक्षकारों की आपसी सहमति से अथवा उक्त दोनो ही प्रकार से नहीं तो बंटवारा प्रस्ताव मे विवादित आराजी में अच्छी मे से अच्छी और बुरी मे से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया जावे तथा पक्षकारान को नोटिस देकर उन को सुनते हुये बंटवारा भिजवाया जावे । अदालत मातहत का यह आदेश उचित एव विधिक है । बंटवारा प्रस्ताव आने पर पक्षकारो के पास बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति करने का अवसर है । अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(द्वितीय) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-5-2017 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.6.2018 को सुनाया गया ।

5/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर